

किस तिथि को उपज दिया जाना सम्भावित है :-

हस्ताक्षर उपार्जन केन्द्र प्रबंधक	हस्ताक्षर किसान/अंगूठा
दिनांक	हस्ताक्षर किसान/अंगूठा

* SDM/CO अपने निर्धारित प्रतिशत का सत्यापन करने पर हस्ताक्षर करेंगे।

14. सत्यापन

मैं पिता/पति

उम्र यह सत्यापित करता हूँ कि मैं झारखण्ड का किसान हूँ और उपरोक्त पंजीयन फॉर्म में दी गयी जानकारी पूर्णत सत्य है। यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपनी इस जमीन का पंजीयन अन्य किसी खरीदी केन्द्र पर नहीं कराया है। मैं सहमत हूँ कि मेरे द्वारा उपार्जन केन्द्र पर दी गयी फसल के लिए भुगतान उपरोक्त कण्डिका 11 में दिये गये खाते में सीधे जमा कि जाए।

खरीदी केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर किसान/अंगूठा

दिनांक नाम (.....)

15. नोट :-

1. पंजीयन केन्द्र पर पंजीयन होने के बाद आपके एक प्रावधानिक रसीद तुरंत दी जायगी, जिसमें किसान का यूनिक आवेदन क्रमांक व उसका उपार्जन केन्द्र अंकित रहेगा।
2. उपार्जन अवधि के दौरान गाँव के लिए निर्धारित सर्विस एरिया में खरीदी केन्द्रों पर आने की तिथि का एस0 एम0 एस0 अलर्ट किसान को यथासमय प्राप्त होगा।